जयपुर से सोजत जा रही रोडवेज बस ट्रक में घुसी, 15 यात्री घायल

मदनगंज-किशनगढ, (निसं)। बांदरसिंदरी थाना अंतर्गत जयपुर हाइवे मार्ग पर गांव बांदरसिंदरी के पास जयपुर से सोजत जा रही बस गाय को बचाने के चक्कर में अनियंत्रित होकर आगे चल रहे ट्रक में जा घुसी। इससे करीब 15 यात्री चोटग्रस्त होकर घायल हो गये।

चीत्कारों के बीच घायलों को तत्काल स्थानीय यज्ञनारायण अस्पताल में भर्ती कराया। दुर्घटना इतनी भीषण थी कि बस के आगे का हिस्सा चकनाचूर होकर कबाड में तब्दील हो गया। दुर्घटना के बाद हाइवे मार्ग पर काफी देर तक यातायात अवरुद्ध रहने से दोनों तरफ वाहनों की लंबी कतारे लग गई। पुलिस के अनुसार सुबह करीब साढ़े नो बजे हाइवे मार्ग पर अचानक गाय के सड़क पर आने से बस अनियंत्रित होकर आगे चल रहे ट्रक में जा घुसी, जिसके चलते करीब 15 यात्री घायल हो गये, इनमे से राजेश गर्ग व दीपक वर्मा की स्थिति चिंताजनक होने पर जेएलएन हॉस्पिटल अजमेर रैफर कर दिया।

दुर्घटना इतनी भीषण थी कि बस के आगे का हिस्सा चकनाचूर होकर कबाड में तब्दील हो गया। दुर्घटना के बाद हाइवे मार्ग पर काफी देर तक यातायात अवरुद्ध रहा।

■ दो घायलों को अजमेर रैफर किया

घायलों में रामगंज जयपुर निवासी राजेश गर्ग पुत्र जयदेव, बजरंग कॉलोनी किशनगढ निवासी मनोहर कंवर पत्नी नरपत सिंह, जयसिंहपुरा जयपुर निवासी रेखा पत्नी पवन माली, आर्यनगर मुरलीपुरा जयपुर निवासी नवीन गुप्ता पुत्र मोहनलाल, जाटियावास सिरोही निवासी दीपक वर्मा पुत्र हिन्दूराम, सोजत सिटी निवासी शांति देवी पत्नी केवलचंद माली, तारा देवी पत्नी चम्पालाल माली, कानाराम पुत्र रतनाराम माली, मिश्रीराम पुत्र केवलराम माली, जमवारामगढ निवासी रामचंद्र मीणा पुत्र लादूराम, गगराना मेड़ता निवासी संतोष पत्नी लक्ष्मीनारायण सरगरा इसकी बेटी निशा व मनीषा, गोरिया (बाली) पाली निवासी लक्ष्मण गरासिया पुत्र हीराराम, सोजत सिटी निवासी कानाराम माली पुत्र रतनाराम शामिल हैं। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

वेन की टक्कर से बच्चों से भरा ऑटो पलटा

भीलवाडा, (निसं)। जिले के गुलाबपुरा थाना क्षेत्र के मांइस चौराहे के पास बुधवार सुबह ऑटो पलटने से एक स्कूली बच्चे की मौत हो गई, जबकि 6 बच्चे घायल हो गए। आसपास मौजूद लोगों ने बच्चों को तुरंत अस्पताल पहुंचा। गुलाबपुरा पुलिस भी मौके पर पहुंच गई। पुलिस ने छात्र के शव का पीएम करा शव परिजनों के सुपुर्द कर मामले की जांच शुरू की है। बुधवार सुबह आगुचा स्कूल के बच्चे एक प्राइवेट ऑटों में सवार होकर गुलाबपुरा आ रहे थे। इस दौरान माइंस चौराहे पर सीआईएफएस कॉलोनी के पास सामने से आ रही वेन ने ऑटो को टक्कर मार दी। इससे ऑटो पलट गया। हादसे में देवराज पुत्र सावरमल गुर्जर उम्र 11 वर्ष की मौके पर ही मौत हो गई। वैन में सवार साक्षी पुत्री पृथ्वीराज मेवाड़ा, राजवीर पुत्र गोविंद गुर्जर सहित 6 बच्चे घायल हो गए। इनमें से एक बच्चे का हाथ भी फ्रैक्चर हो गया। जिन्हें अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। पुलिस ने लापरवाह वेन चालक के खिलाफ मामला दर्ज कर उसकी तलाश शुरू कर दी है। छात्र के शव का पोस्टमार्टम करा शव परिजनों के सुपुर्द कर दिया गया है।

अभियान की प्रगति समीक्षा की

ब्यावर, (निसं)। प्रशासन शहरों के संग अभियान के तहत राजेश तुलारा द्वारा अभियान की समीक्षा करते हुए आवश्यक निर्देश दिए। जोनल डेवलपमेंट प्लान जॉन संख्या 1,2,3 हेतु बोर्ड की बैठक शीघ्र बुलाई जाकर जोनल प्लान बोर्ड बैठक में स्वीकृत कराया जाए एवं शेष जोन 4 व 5 का जोनल प्लान तैयार कर आपत्ति आमंत्रित की जाए।

PUBLIC NOTICE

The public at large is hereby Informed that NEHA ENTERPRISES, **AMC 791 A, Bansal Building, Near Jain Readymade, Station, Road, Ajmer, Rajasthan - 305001** is no longer an Authorised Service Centre of Xiaomi and is not authorised by the company to service any of its products. Customers are advised to visit Xiaomi authorised service centres for repair or service of their Xiaomi products. These service centres have trained personnel who know how to correctly diagnose and repair your Xiaomi Products and only use Xiaomi certified parts for repairs. By using an authorised service centre, you can be assured that your Xiaomi product will be repaired correctly. Details of Xiaomi Authorised service Centres are available on https://www.mi.com/in/service/repair/

Issued by : ItTechies Services Pvt Ltd.
'Authorised service provider of Xiaomi'
Enjoy hassle free service appointment booking by visiting
https://miservicemanager.mi.com/customer.html

कार्यालय नगरपालिका मण्डल, परबतसर जिला नागौर (राज.)

Email : nppatbatsar@gmail.com
फोन : 01589-240141

क्रमांक : नपाप/2021-22/3396
दिनांक : 29.11.2021

आपत्ति आमंत्रण सूचना

सर्वसाधारण एवं समस्त हिताधिकारीयों को सूचित किया जाता है कि इण्डस टॉवर लिमिटेड गुड़गाव हरियाणा द्वारा निम्नलिखित स्थान पर टॉवर स्थापित करने हेतु कार्यालय नगरपालिका परबतसर में आवेदन किया है:-

क्र. सं.	साईड आईडी	भू-स्वामी का पता	स्थान का विवरण	क्षेत्रफल
1.	IN 3063576	श्री अर्जुन राम पुत्र श्री बाबुलाल उर्फ देवबक्ष माली निवासी परबतसर	खसरा नं.1598, श्याम नगर नेशनल स्कूल के पास, परबतसर नागौर पड़ौस, पूर्व-हनुमान जी का मकान, पश्चिम-भंवरू माली का प्लॉट उत्तर-गिंगोली रोड़ दक्षिण-श्याम कॉलोनी	15x20 वर्गफीट

अतः जिस किसी व्यक्ति/फर्म/हितकारी को इस विषय में कोई आपत्ति या कोई सुझाव हो तो इस आपत्ति आमंत्रण सूचना के प्रकाशन की तिथि के 07 दिवस के अन्दर इस कार्यालय में लिखित रूप में मय तथ्य प्रस्तुत करें।

इस अवधि के दौरान कोई आपत्ति या सुझाव प्राप्त नहीं होता है तो अवधि उपरान्त पत्रावली पर नियमानुसार अग्रिम कार्यवाही कर दी जावेगी।

अधिशाषी अधिकारी
नगरपालिका परबतसर

कार्यालय अजमेर विकास प्राधिकरण, अजमेर

आम सूचना

सर्व सांधारण को सूचित किया जाता है कि प्राधिकरण की वैशाली नगर आवासीय योजना के भूखण्ड संख्या बी-4, क्षेत्रफल 299 वर्गगज के सहस्वामी-1 श्री अशोक कुमार आर्य पुत्र श्री भगवानदास, निवासी अजमेर की मृत्यु दिनांक 05.10.2013 को होने पर उनके मृत्यु प्रमाण पत्र, सजरा रिपोर्ट और सहस्वामी-2 श्रीमती अचला आर्य के अतिरिक्त मृतक के दो अन्य वारिसान-पुत्रों श्री अभिनव आर्य व श्री अनमोल आर्य द्वारा श्रीमती अचला आर्य के पक्ष में निष्पादित पंजीकृत हकत्याग पत्र के आधार पर नामान्तरण हेतु श्रीमती अचला आर्य पत्नी स्व. श्री अशोक कुमार आर्य, निवासी-बी-4 वैशालीनगर, अजमेर द्वारा आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया है।

उक्त नामान्तरण किये जाने के संबंध में किसी को आपत्ति हो सूचना प्रकाशन के 15 दिवस के भीतर आपत्ति प्राधिकरण कार्यालय में दर्ज करावें। उक्त नियत अवधि पश्चात कोई आपत्ति स्वीकार योग्य नहीं होगी व आवेदकों के नाम नामान्तरण की कार्यवाही की जा सकेगी।

योजना प्रभारी अजमेर विकास प्राधिकरण अजमेर

अजमेर विकास प्राधिकरण, अजमेर

क्रमांकः-अविप्रा/प.3/भू.उ.परि./2021/
दिनांक ....

सार्वजनिक सूचना

नगरीय विकास एवं आवासन विभाग, राजस्थान सरकार के अधिसूचना क्रमांक प.11 (08) नविवि/2020 दिनांक 24.02.2021 एवं अजमेर विकास प्राधिकरण अधिनियम 2013 के अन्तर्गत निम्नांकित भूमि का आवासीय से व्यवसायिक प्रयोजनार्थ भू-उपयोग परिवर्तन हेतु प्रस्तावित किया गया है।

क्र. सं.	नाम आवेदक	योजना का नाम	प्लॉट नम्बर	कुल क्षेत्रफल	मास्टर डवलपमेन्ट प्लान 2033 के अनुसार भू-उपयोग	स्वीकृत भू-उपयोग	चाहा गया भू-उपयोग
1	2	3	4	5	6	7	8
1	श्री सौरभ पाटनी पुत्र स्व. श्री नवनीत कुमार पाटनी	राजस्व ग्राम माकड़वाली	भूखण्ड संख्या संख्या 01 खसरा नं. 405 406,407	156.56 वर्ग मीटर	मिश्रित	आवासीय	व्यवसायिक

उपरोक्त भू-उपयोग परिवर्तन किये जाने पर किसी संस्था/व्यक्ति को कोई आपत्ति हो तो इस सूचना के प्रकाशन की दिनांक से 15 दिवस में अपनी आपत्ति/कारण/विवरण सहित अजमेर विकास प्राधिकरण, अजमेर में दर्ज करावें। अन्यथा अवधि के उपरान्त किसी भी आपत्ति या सुझाव पर विचार नहीं किया जायेगा।

सदस्य सचिव (भू-उपयोग परिवर्तन समिति) अजमेर विकास प्राधिकरण, अजमेर

अजमेर विकास प्राधिकरण, अजमेर

क्रमांकः-अविप्रा/प.3/भू.उ.परि./2021/
दिनांक ....

सार्वजनिक सूचना

नगरीय विकास एवं आवासन विभाग, राजस्थान सरकार के अधिसूचना क्रमांक प.11 (08) नविवि/2020 दिनांक 24.02.2021 एवं अजमेर विकास प्राधिकरण अधिनियम 2013 के अन्तर्गत निम्नांकित भूमि का आवासीय से व्यवसायिक प्रयोजनार्थ भू-उपयोग परिवर्तन हेतु प्रस्तावित किया गया है।

क्र. सं.	नाम आवेदक	योजना का नाम	प्लॉट नम्बर	कुल क्षेत्रफल	जोनल डवलपमेन्ट प्लान2033(जोन2) के अनुसार भू-उपयोग	स्वीकृत भू-उपयोग	चाहा गया भू-उपयोग
1	2	3	4	5	6	7	8
1	श्रीमती दीपा साध पत्नी श्री इन्दर साध जरिए मुख्यत्यारआम कमल जोधानी पुत्र स्व.श्री चन्द्र जोधानी	राजस्व ग्राम माकड़वाली	भूखण्ड संख्या संख्या 02 खसरा नं.406	222.22 वर्गगज	मिश्रित	आवासीय	व्यवसायिक

उपरोक्त भू-उपयोग परिवर्तन किये जाने पर किसी संस्था/व्यक्ति को कोई आपत्ति हो तो इस सूचना के प्रकाशन की दिनांक से 15 दिवस में अपनी आपत्ति/कारण/विवरण सहित अजमेर विकास प्राधिकरण, अजमेर में दर्ज करावें। अन्यथा अवधि के उपरान्त किसी भी आपत्ति या सुझाव पर विचार नहीं किया जायेगा।

सदस्य सचिव (भू-उपयोग परिवर्तन समिति) अजमेर विकास प्राधिकरण, अजमेर

संक्षिप्त

कडेल में प्रशासन गांवों के संग शिविर

पुष्कर, (निसं) । कडेल ग्राम पंचायत में बुधवार को प्रशासन गांव के संग शिविर आयोजित किया गया। शिविर में 64 पट्टे वितरण किये गए। विधायक सुरेश सिंह रावत ने भी शिरकत कर ग्रामीणों को पट्टे वितरण किये। शिविर की अध्यक्षता सरपंच लक्ष्मी कंवर राठौड़ ने की । एसडीम सुखाराम पिंडेल ने बताया कि शिविर के दौरान 64 ग्राम वासियों को पट्टों का वितरण किया गया। इसी प्रकार 17 नवीन जॉब कार्ड, राजस्व विभाग द्वारा 176 नामांतरण स्वीकृत किए गए। बीएस आपसी सहमति से खाता विभाजन, राजस्व अभिलेख खातों का शुद्धिकरण के 36 मामले, रास्ते के 52 मामले व सरकारी चाला का भूमि से अतिक्रमण के 11 मामले का निस्तारण किया गया। शिविर में तहसीलदार रामेश्वर छाबा, नायब तहसीलदार संदीप कुमार चौधरी, जिला परिषद सदस्य महेंद्र सिंह मझेवला सहित ग्रामीण मौजूद थे।

पुष्कर में लगेगें सीसीटीवी कैमरे

पुष्कर, (निसं)। पुष्कर नगर पालिका के चेयरमैन कमलपाठक और उपचेयरमैन शिवस्वरुप महर्षि समेत भाजपा के समस्त पार्षदों एव भाजपा कार्यकर्ताओ की मांग पर पुष्कर विधायक सुरेश रावत ने विधायक कोष से करीब 20 लाख रुपये की लागत से पुष्कर में श्रद्धालुओं और आमजन की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए कस्बे के मुख्य बाजार समेत पूरे कस्बे में सीसी टीवी कैमरे लगाए जाएंगे। कस्बे में कैमरे लगाने की कवायदे तेज कर दिए है । बुधवार को पुष्कर नगर पालिका उपचेयरमैन शिवस्वरुप महर्षि ने बताया कि पुष्कर में सुरक्षा की दृष्टि से विधायक कोष से करीब 20 लाख रुपये के लागत से सीसी टीवी कैमरे लगाए जाएंगे, जिससे धार्मिक नगरी पुष्कर सीसी टीवी कैमरे की नजर में रहेगी और अप्रिय घटनाओं पर लगाम लगेगी।

फसल बीमा योजना रथों को रवाना किया

भीलवाडा, (निसं)। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के प्रचार प्रसार हेतु जिले के 14 रथों को जिला कलक्टर शिवप्रकाश एम. नकाते एवं सहाडा विधायक गायत्री देवी त्रिवेदी ने जिला क्लेक्ट्री परिसर से हरी झण्डी दिखाकर रवाना किया। ये रथ जिले के सभी ठाामों में भ्रमण कर 25 दिसम्बर तक दृश्य, श्रवण एवं पेम्पलेट के माध्यम से योजना का प्रचार प्रसार करेंगे। योजनान्तर्गत रबी फसलों का बीमा 31 दिसम्बर 2021 तक किया जाएगा। इस अवसर पर सहाडा विधायक श्रीमती गायत्री देवी, उप निदेशक कृषि (वि.) रामपाल खटीक, परियोजना निदेशक आत्मा जी.एल.चावला तथा एसबीआई जनरल इन्श्योरेंश के प्रतिनिधि उपस्थित थे।

छात्रवृति आवेदन 15 दिसंबर तक

भीलवाडा, (निसं)। अल्पसंख्यक समुदाय के छात्र-छात्राओं को आर्थिक सहायता प्रदान कर इनके शैक्षिक उन्नयन हेतु संचालित प्री-मैट्रिक, पोस्ट मेट्रिक एवं मैरिट कम मीन्स छात्रवृति योजना वर्ष 2021-22 वर्तमान में संचालित है इसके अन्तर्गत शिक्षण संस्थाओं में अध्ययनरत विद्यार्थियों के लिए ऑनलाईन एनएसपी पोर्टल पर आवेदन करने की अंतिम तिथि 15 दिसंबर 2021 हो गई है।

एडीए ने देवनानी की उपस्थिति में हाथीखेड़ा ग्राम पंचायत को 30 हैक्टेयर भूमि सौंपी

अजमेर, (कासं)। पूर्व शिक्षा मंत्री व अजमेर उत्तर विधानसभा क्षेत्र के विधायक वासुदेव देवनानी के अथक प्रयासों से अजमेर विकास प्राधिकरण ने 30 हैक्टेयर भूमि हाथीखेडा ग्राम पंचायत को सौंप दी है। इससे हाथीखेडा में आबादी भूमि विस्तार और पट्टे देने की वर्षों पुरानी मांग पूरी तरह साकार हो गई है। अजमेर विकास प्राधिकरण (एडीए) द्वारा विधायक देवनानी ने उपखंड अधिकारी और विकास अधिकारी की मौजूदगी में हाथीखेडा ग्राम पंचायत के सरपंच लालसिंह रावत को भूमि सुपुर्द की। यह करीब दो सौ बीघा भूमि है।

इससे अब ग्राम पंचायत हाथीखेडा के अधीन ग्रामों के निवासियों को दो सौ से पांच सौ मीटर क्षेत्र तक में पट्टे दिए जा सकेंगे। हाथीखेडा ग्राम पंचायत के ग्रामीणों को आबादी विस्तार की समस्या से निजात दिलाने के लिए देवनानी काफी लंबे समय से प्रयासरत थे। उन्होंने इस मुद्दे को विधानसभा में भी उठाया था और जिला कलेक्टर तथा एडीए के आयुक्त से मुलाकात की थी। पिछले महीने के दूसरे पखवाडे में एडीए ने हाथीखेडा ग्राम पंचायत के अधीन आबादी विस्तार के आदेश जारी कर दिए थे। इसके बाद भूमि सौंपने की कार्यवाही पूरी की गई है। अब हाथीखेडा ग्राम पंचायत के अधीन हाथी खेडा कन्हाडी और तलाई गांव के ग्रामीण भी पट्टे ले सकेंगे। हाथीखेडा को आबादी भूमि विस्तार के आदेश जारी करवाकर भूमि उपलब्ध कराने के लिए ग्रामीणों ने देवनानी का धन्यवाद ज्ञापित किया है। उन्होंने कहा कि यह देवनानी की मेहनत का ही परिणाम है कि उन्हें अब पट्टे मिल सकेंगे। उल्लेखनीय है कि हाथीखेडा के आसपास के गांव अजयसर, खरेखडी आदि में आबादी विस्तार पहले ही हो चुका था।

विधायक वासुदेव देवनानी ने हाथीखेड़ा में पट्टे वितरित किये।

■ एडीए अधिकारियों ने सरपंच लालसिंह को सुपुर्द की भूमि, देवनानी ने बांटे 74 पट्टे

इस बीच देवनानी ने हाथीखेडा, काजीपुरा और बोराज में 74 लोगों को पट्टे बांटे। इन ग्रामीण क्षेत्रों के निवासी लंबे समय से पट्टे पाने के लिए तरस रहे थे। ग्रामीणों ने पट्टे मिलने पर देवनानी का दिल से आभार जताया। उन्होंने कहा कि देवनानी ऐसे पहले विधायक हैं, जिन्होंने उनकी सुध ली है। उन्होंने ग्रामवासियों की मांग पर कहा कि बाकी बचे लोगों को भी जल्द से जल्द पट्टे दिलाए जाएंगे।

इस बीच फॉयसागर रोड पर कृषि भूमि पर बसी अनेक कॉलोनी के निवासियों की शिकायत है कि पट्टे देने में भेदभाव किया जा रहा है। उन्होंने इस संबंध में जिला कलेक्टर और एडीए आयुक्त को भेजे ज्ञापन में कहा गया है कि कहीं ज्यादा दर पर तो कहीं सस्ती दर पर पट्टे दिए जा रहे हैं। उन्हें उन्हीं दरों पर पट्टे दिए जाएं, जिन दरों पर अन्य क्षेत्रों व कॉलोनियों में पट्टे दिए जा रहे हैं। इस संबंध में देवनानी ने भी प्रशासन से लोगों की मांग पर गौर करते हुए समान दरों पर पट्टे दिए जाने का आग्रह किया है।

महिला सशक्तिकरण एवं जागरूकता को जन अभियान बनाने का आव्हान

अजमेर, (कासं)। अजमेर रेंज पुलिस महानिरीक्षक एस सैंगाथिर की अध्यक्षता में बुधवार को पुलिस लाइन सभागार में मीडिया एवं शिक्षा अधिकारियों की कार्यशाला आयोजित हुई। इसमें महिला सशक्तिकरण एवं जागरूकता अभियान से संबंधित आवाज दो मोबाइल एप के संबंध में चर्चा की गई।

आईजी एस सैंगाथिर ने कहा कि पुलिस महिला अपराधों के संबंध में संवेदनशीलता के साथ कार्य करती है। महिला अत्याचारों की रोकथाम, महिला सशक्तिकरण एवं लैगिंक दुराचार की रोकथाम में सजगता एवं जागरूकता एक महत्वपूर्ण कडी है। अजमेर रेंज में आवाज दो के नाम से जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। इसका मूल उद्देश्य महिलाओं को कानूनी अधिकारों एवं प्रावधानों के प्रति प्रशिक्षित एवं जागरूक करना है। महिलाओं की आपात परिस्थिति में सहायता के लिए आवाज दो मोबाइल एप सक्रिय है। इससे मुश्किल समय में महिलाओं को लोकेशन आधारित सहायता उपलब्ध कराई जाएगी।

व्हाट्सएप नम्बर 9929072555 के माध्यम से भी महिलाएं सहायता प्राप्त कर सकती है। इसी तरह सोशल मीडिया के अन्य प्लेटफार्मों का भी उपयोग किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि महिला हैल्प लाइन नम्बर 1090 का भी महिलाएं उपयोग ले सकती है। उन्होंने कहा कि लैंगिक असमानता को दूर किए जाने की आवश्यकता है। महिला अपराधों को सामान्य अपराधों से हटकर देखा जाना चाहिए। समाज में सकारात्मक वातावरण बनाकर किसी व्यक्ति की सोच में बदलाव लाया जा सकता है। आवाज दो मोबाइल एप में थानों की अक्षांश एवं देशान्तर रेखाओं के साथ मैपिंग की गई है। इस एप से महिलाएं पुलिस कन्ट्रोल रूम एवं थानों में फोन भी कर सकती है। पुलिस अधीक्षक विकास शर्मा ने कहा कि महिला सशक्तिकरण एवं जागरूकता अभियान पुलिस के कार्यो की पहुंच बढाने में उपयोगी रहेगा। पुलिस को किसी समस्या से अवगत कराने से पीडीत एवं पुलिस के मध्य की दूरी को कम किया जा सकता है। महिलाओं से जुडे अपराध मनोवृत्ति आधारित होते है। इस मनोवृत्ति से बाहर निकले की आवश्यकता है। यह अभियान इसमें सहयोगी बनेगा।

इस अवसर पर मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी धर्मेन्द्र जाटव, मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी किशनगढ, अंराई, जवाजा, सरवाड, श्रीनगर एवं पीसांगन तथा समस्त मीडिया संस्थानों के प्रतिनिधि उपस्थित थे।

पुलिस लाइन सभागार में मीडिया एवं शिक्षा अधिकारियों की कार्यशाला आयोजित हुई।

विश्व एड्स दिवस पर संगोष्ठी

नागौर, (निसं)। विश्व एड्स दिवस पर बुधवार को ऐंड इनइक्वलिटीज, एंड एड्स (असमानता को समाप्त करना एवं एड्स को खत्म करना) नागौर जिले में विभिन्न तरह की जागरूकता गतिविधियां आयोजित की गई।

जिला कलेक्टर डॉ. जितेन्द्र कुमार सोनी के निर्देशानुसार मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. मेहराम महिया के मार्गदर्शन में आयोजित की गई एड्स जागरूकता गतिविधियों की शुरूआत संगोष्ठी से हुई। चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, राजस्थान एड्स कंट्रोल सोसाइटी व नाको के संयुक्त तत्वावधान में आयोजित इन गतिविधियों के तहत पंडित जेएलएन राजकीय अस्पताल के एआरटी सेंटर में संगोष्ठी का आयोजन किया गया। इस मौके पर सीमा अठावाल, महेन्द्र छाबा, लेखराम लखारा, हेमाराम, विक्रमसिंह राठौड़, धीरसिंह, बुलवंती, गरीबराम, दौलत कुमारी एवं समस्त एआरटी स्टॉफ सहित विहान व ठााम विकास सेवा संस्थान के प्रतिनिधि मौजूद रहे।

आरपीएससी अध्यक्ष डॉ भूपेन्द्र सिंह को आयोग परिवार ने विदाई दी

अजमेर, (कासं)। राजस्थान लोक सेवा आयोग परिवार ने आयोग अध्यक्ष डॉ भूपेन्द्र सिंह को भावभीनी विदाई दी। 14 अक्टूबर 2020 को आयोग में आने के बाद डॉ सिंह ने अपने 14 माह के कार्यकाल में कोरोना महामारी की चुनौतियों के मध्य विभिन्न भर्ती परीक्षाओं तथा साक्षात्कारों को सफलता पूर्वक सम्पन्न कराया।

अध्यक्ष पद पर नियुक्ति छह साल या 62 वर्ष की आयु में से जो पहले हो उसके लिए होती है। एक दिसम्बर को डॉ सिंह 62 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुके हैं। सूचना एवं जनसंपर्क अधिकारी नवीन कुमार आनंदकर ने बताया कि आयोग परिसर में दोपहर 3 बजे विदाई कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस दौरान डॉ सिंह का साफा पहनाकर, श्रीफल तथा स्मृति चिन्ह भेंट कर आयोग परिवार की और से सम्मान किया गया।

समारोह में डॉ भूपेन्द्र सिंह ने अपने सम्बोधन में आयोग के सभी सदस्यों व कार्मिकों को धन्यवाद दिया और भविष्य में होने वाली सभी भर्ती परीक्षाओं के सफल संचालन के लिए शुभकामनाएं दीं। उन्होंने कहा कि आयोग के कर्मचारियों से जो आत्मीयतापूर्ण स्नेह प्राप्त हुआ वह अविस्मरणीय रहेगा। आयोग के कर्मठ व कार्य के प्रति समर्पित कार्मिकों का समूह कम ही दृष्टिगोचर होता है। आयोग व इसके कार्मिकों की उन्नत कार्यशैली दीर्घ परंपराओं का परिणाम है। आशा है कि इसमें निरंतर संवर्धन होता रहेगा।

कार्यक्रम की अध्यक्षता करते हुए सदस्य डॉ शिव सिंह राठौड ने कहा कि अच्छे व्यक्ति की विदाई से सभी का मन व्यथित होता है। व्यक्ति का पद निश्चित समय के लिए होता है किंतु, व्यक्तित्व स्थाई होता है। सफलता निजता में नहीं सभी को साथ लेकर चलने के भाव में है। डॉ. सिंह इतने उच्च पदों पर आसीन रहने के उपरांत भी विनम्रता व सादगी के उदाहरण हैं। संस्था की बागडोर सक्षम व सही हाथों में होने पर संस्था की एक अलग ही पहचान बनती है। आयोग के अध्यक्ष रूप में कार्य को गति देने में व नवाचारों को करने में डॉ. सिंह का उल्लेखनीय योगदान रहा है। यह आयोग की उत्कृष्ट कार्यशैली का परिणाम है कि आयोग के कार्मिकों व कार्यप्रणाली की प्रशंसा अन्य लोक सेवा आयोग के सदस्य व विशेषज्ञ भी करते रहे हैं।

आरपीएससी परिवार ने आयोग अध्यक्ष भूपेन्द्र सिंह यादव को स्मृति चिन्ह भेंट कर विदाई दी।

■ 14 माह के कार्यकाल में विभिन्न परीक्षाओं तथा साक्षात्कारों को सफलता पूर्वक सम्पन्न कराया

आयोग के अन्य सदस्य राजकुमारी गुर्जर, रामूराम रायका, बाबूलाल कटारा व डॉ मंजू शर्मा ने भी अपने उद्बोधन में आयोग में डॉ सिंह के कार्यकाल के दौरान किए गए विभिन्न कार्यो का उल्लेख किया। इनमें आयोग के कामकाज की सुविधा की दृष्टि से नए ब्लॉक का शिलान्यास, अभ्यर्थियों की सुविधार्थ परिवेदना पोर्टल एवं आयोग के संशोधित मैन्यूअल शामिल है। राजपत्रित अधिकारी संघ के अध्यक्ष दयाकर शर्मा, मंत्रालयिक कर्मचारी संघ के अध्यक्ष गोविंद सिंह राठौड, चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी संघ की और से खयाली राम ने माला पहनाकर डॉ सिंह का अभिनंदन किया।

कार्यालय प्राधिकृत अधिकारी, जोन उत्तर अजमेर विकास प्राधिकरण, अजमेर

क्रमांकः-LU2012/ADA/2021-22/100347
दिनांक :-29.11.2021

लोक सूचना

श्री SHAKUNTALA पत्नी श्री LATE. RAJENDRA PRASAD जाति BRAHMIN निवासी 28/26 CHOUDHARY HOTEL KE PASS WALI GALI, RAMGANJ AJMER ने इस कार्यालय में नीचे उल्लिखित भूमि का आवासीय प्रयोजन के उपयोग हेतु ऐसी भूमि के अपने अभिधृति अधिकारी के निर्वापन के लिए आवेदन प्रस्तुत किया है, अर्थात

क्र. सं.	ग्राम तहसील व जिले का नाम	खातेदार का नाम	खसरा संख्या	क्षेत्रफल (वर्ग मीटर)	क्षेत्रफल (हैक्टे.)
1	माकड़वाली अजमेर (अजमेर)	SHAKUNTALA	444	3700	0.37
				कुल	0.37

इसलिए, इसके द्वारा समस्त सम्बधित व्यक्तियो को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 90-क और राजस्थान अभिधृति अधिनियम, 1955 की धारा 63 के अधीन पूर्वोक्त प्रयोजनों के लिए भूमि के उपयोग हेतु अनुज्ञा प्रदान करने और अभिधृति अधिकारो के निर्वापन पर कोई आक्षेप है तो वह इस नोटिस के प्रकाशन के 7 दिन के भीतर-भीतर अपनी एसएसओ आईडी से लॉग इन कर 90-A For Development Authority (UDH) आईकॉन पर जाकर समर्थक दस्तावेज को अपलोड कर अपना आक्षेप दर्ज कर सकते है। उपर्युक्त नियत समय के भीतर-भीतर किसी आक्षेप के अभाव में यह समझा जायेगा कि किसी को आक्षेप नही है और तद्नुसार मामले का निपटारा किया जायेगा। यह सूचना मेरे हस्ताक्षर और मुहर के अधीन आज 29.11.2021 को जारी की गयी।

प्राधिकृत अधिकारी जोन उत्तर, अजमेर विकास प्राधिकरण, अजमेर

कार्यालय नगरपालिका गुलाबपुरा (भीलवाड़ा)

क्रमांक:तामीरात/ 513
दिनांक:1/12/2021

उजरदारी नोटिस

श्री ललित कुमार गर्ग पिता श्री सम्पत राज गर्ग निवासी गुलाबपुरा वाई नम्बर हुरड़ा रोड़ भू.सं. 36, माप 25X50 कुबेर कॉलोनी - ii द्वारा पालिका कार्यालय में भवन निर्माण स्वीकृति हेतु/भूखण्ड हस्तान्तरण हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत किया है। अतः इस सूचना पत्र के माध्यम से सार्वजनिक सूचना प्रसारित की जाती है कि यदि किसी व्यक्ति को उक्त भवन निर्माण स्वीकृति/भू-खण्ड हस्तान्तरण के सम्बन्ध में कोई आपत्ति हो तो लिखित रूप में मय दस्तावेजी प्रमाणों को संलग्न करते हुए 07 दिन की अवधि में प्रस्तुत कर दें। उक्त अवधि के पश्चात कोई आपत्ति मान्य नहीं होगी।

पत्रावली एवं दस्तावेजों का निरीक्षण कार्यालय में किसी भी कार्य दिवस के समय देखा जा सकता है।

पड़ौस विवरण :-
पूर्व :- प्लॉट सं. 37
पश्चिम :- प्लॉट सं. 35
उत्तर :- प्लॉट सं. 21
दक्षिण :- आम रास्ता 30' फीट

अधिशाषी अधिकारी नगरपालिका, गुलाबपुरा

कार्यालय नगरपालिका गुलाबपुरा (भीलवाड़ा)

क्रमांक:तामीरात/ 520
दिनांक:1/12/2021

उजरदारी नोटिस

श्रीमति विमला लढ़ा पति श्री बाबूलाल लढा सिंधी कॉलोनी निवासी गुलाबपुरा वाई नम्बर शिवम् वाटिका भू.सं. 15 (25X50) फीट द्वारा पालिका कार्यालय में भवन निर्माण स्वीकृति हेतु/भूखण्ड हस्तान्तरण हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत किया है। अतः इस सूचना पत्र के माध्यम से सार्वजनिक सूचना प्रसारित की जाती है कि यदि किसी व्यक्ति को उक्त भवन निर्माण स्वीकृति/भू-खण्ड हस्तान्तरण के सम्बन्ध में कोई आपत्ति हो तो लिखित रूप में मय दस्तावेजी प्रमाणों को संलग्न करते हुए 07 दिन की अवधि में प्रस्तुत कर दें। उक्त अवधि के पश्चात कोई आपत्ति मान्य नहीं होगी।

पत्रावली एवं दस्तावेजों का निरीक्षण कार्यालय में किसी भी कार्य दिवस के समय देखा जा सकता है।

पड़ौस विवरण :-
पूर्व :- भू.सं. 16
पश्चिम :- भू.सं. 14
उत्तर :- भू.सं. 11
दक्षिण :- आम रास्ता 30' फीट

अधिशाषी अधिकारी नगरपालिका, गुलाबपुरा

कार्यालय नगरपालिका गुलाबपुरा (भीलवाड़ा)

क्रमांक:तामीरात/ 518
दिनांक:1/12/2021

उजरदारी नोटिस

श्रीमति अन्नू माली पति श्री नन्दा माली निवासी हुरड़ा वाले निवासी गुलाबपुरा वाई नम्बर मारूति नगर भू.सं. 29-(25X50) फीट द्वारा पालिका कार्यालय में भवन निर्माण स्वीकृति हेतु/भूखण्ड हस्तान्तरण हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत किया है। अतः इस सूचना पत्र के माध्यम से सार्वजनिक सूचना प्रसारित की जाती है कि यदि किसी व्यक्ति को उक्त भवन निर्माण स्वीकृति/भू-खण्ड हस्तान्तरण के सम्बन्ध में कोई आपत्ति हो तो लिखित रूप में मय दस्तावेजी प्रमाणों को संलग्न करते हुए 07 दिन की अवधि में प्रस्तुत कर दें। उक्त अवधि के पश्चात कोई आपत्ति मान्य नहीं होगी।

पत्रावली एवं दस्तावेजों का निरीक्षण कार्यालय में किसी भी कार्य दिवस के समय देखा जा सकता है।

पड़ौस विवरण :-
पूर्व :- रोड़ 30 फिट
पश्चिम :- प्लाट नं. 44
उत्तर :- प्लाट नं. 28
दक्षिण :- प्लाट नं. 30

अधिशाषी अधिकारी नगरपालिका, गुलाबपुरा

कार्यालय प्राधिकृत अधिकारी (अधिशाषी अधिकारी) नगर पालिका, आसीन्द जिला-भीलवाड़ा (राज)

क्रमांक/न.पा.आ/लोकसूचना/69-ए/2021-22/3397
दिनांक 1/12/2021

प्ररूप-5 (नियम 6 (2) देखिए)

सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि नगरपालिका अधिनियम, 2009 की धारा 69-क के अधीन नीचे वर्णित आवेदको ने आवेदन पत्र प्रस्तुत कर अपनी भूमि में अपने अधिकार आवासीय/व्यवासायिक पट्टा प्रयोजन के लिए ऐसी भूमि के उपयोग के लिए पूर्ण स्वामित्व पट्टा अधिकार प्राप्त करने के लिए नगरपालिका, आसीन्द के पक्ष में अभ्यर्पित कर दिये है।

क्र.सं.	आवेदक का नाम	वार्ड/कॉलोनी/गली का नाम	उत्तर दिशा दिर्शित करते हुए लम्बाई और चौडाई सहित क्षेत्र (वर्ग फिट में)
1.	श्रीमती मन्जू कंवर पत्नि श्री जब्बर सिंह सांखला	वार्ड नं. 24 जोगियो को झौपड़िया आसीन्द	1468.24 वर्गफिट
2.	श्रीमती धापू देवी पत्नि श्री शम्भू सिंह सांखला	वार्ड नं. 24 जोगियो की झौपड़िया आसीन्द	3613.87 वर्गफिट

इसलिए, इसके द्वारा समस्त संम्बधित व्यक्तियो को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति के पास राजस्थान नगरपालिका अधिनियम, 2009 की धारा 69-क के अधीन पूर्ण स्वामित्व पट्टा अधिकार अभिप्राप्त करने की अनुज्ञा की मंजूरी के संबंध में कोई आक्षेप है तो वह इस नोटिस के प्रकाशन के 7 दिवस के भीतर किसी भी कार्य दिवस पर कार्यालय समय के दौरान अधोहस्ताक्षरकर्ता के समक्ष समर्थक दस्तावेजों के साथ अपने आक्षेप प्रस्तुत कर सकेगा। उपर्युक्त नियत अवधि के भीतर किसी आक्षेप के अभाव में यह समझा जायेगा कि किसी व्यक्ति को कोई आक्षेप नहीं है और मामले का तद्नुसार निपटारा/निस्तारण किया जायेगा। यह सूचना मेरे हस्ताक्षर और मुहर के अधीन आज दिनांक -12-2021 को जारी की गयी।

(पी.एल.जाट)
प्राधिकृत अधिकारी अधिशाषी अधिकारी नगरपालिका, आसीन्द